

वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर
(जिला योजना कार्यालय)
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना


संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाअर्गत श्री राम विलास पासवान, मानवीय मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हाजीपुर संसदीय क्षेत्र अन्तर्गत 1,00,00,000.00 (एक करोड़) रुपये की लागत से हाजीपुर संसदीय क्षेत्र अन्तर्गत प्रत्येक प्रखंडों एवं जिला अस्पताल, हाजीपुर के लिए एक-एक एम्बुलेंस अर्थात् 12 अदद् एम्बुलेंस का अनुशंसा एवं सहमति प्राप्त हुआ है। तदालोक में अधिकृत इच्छुक निर्माता/आपूर्तिकर्ताओं से द्वि- लिफाफा पद्धति में मुहरबंद तकनीकी एवं वित्तीय निविदा निम्नांकित शर्तों के अधीन दिनांक 31/9/19 को 1:00 बजे अपराह्न तक पूर्ण विशिष्टियों के साथ जिला योजना कार्यालय, वैशाली में जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदा को दिनांक 31/9/19 को ही अपराह्न 3:00 बजे जिला कय समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निविदा आमंत्रण सूचना जिले के वेबसाईट www.vaishali.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। साथ ही विशेष जानकारी हेतु प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय अवधि में जिला योजना कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

Technical Specification:-

Tata Winger, High Roof AC Ambulance, BS-IV (सभी विशिष्टियों सहित)

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा हेतु शर्त एवं आवश्यक अहर्ताएँ:-
 - (क) तकनीकी निविदा :
 - I. संस्थान का विस्तृत विवरण।
 - II. निविदादाता को यह साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि वे उपर्युक्त वाहन के अधिकृत एवं निबंधित विक्रेता है तथा इस प्रोजेक्ट के निबंधन हेतु परिवहन विभाग से स्वीकृति प्राप्त है।
 - III. निविदादाता को संबंधित मोटर वाहन के विक्रय हेतु निर्माता द्वारा जारी डीलरशिप नामांकन पत्र अथवा प्राधिकार पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करना होगा।
 - IV. निविदादाता को संबंधित मोटर वाहन के विक्रय हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन/ नवीकृत ट्रेड सर्टिफिकेट (लाइसेंस) की प्रतिलिपि संलग्न करना होगा।
 - V. G.S.T. (वस्तु एवं सेवा कर) अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र।
 - VI. निविदादाता को विगत तीन वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रति एवं कम्पनी का चैन कार्ड नं० संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - VII. निविदादाता को किसी फौजदारी या दीवानी मामलों में मुकदमा लंबित नहीं होने एवं काली सूची में दर्ज नहीं होने से संबंधित मोटरी पब्लिक/ कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र देना होगा।
 - VIII. निविदा के साथ अग्रधन की राशि (Earnest Money) के रूप में मो.- 50,000.00 रु० का डिमांड ड्राफ्ट (Refundable) जो जिला योजना पदाधिकारी, वैशाली के पदनाम से जारी हो एवं हाजीपुर में भुगतये हो, संलग्न होना चाहिए। SISS अथवा NSIC से निर्गत प्रमाण संलग्न होना चाहिए।
 - IX. सफल निविदादाता को वाहन आपूर्ति के समय मोटर वाहन अधिनियम / नियमावली के अनुपालन में विक्रय पत्र / सड़क पात्रता प्रमाण-पत्र एवं इन्वायस मूल में देना होगा।
 - (ख) वित्तीय निविदा :
 - I. वित्तीय निविदा में एक एम्बुलेंस का दर (On Road Price) सभी विशिष्टियों एवं करों के साथ अंकित रहना चाहिए।
 2. अन्य शर्तें :
 - I. तकनीकी वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में, जिन पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दर्शाया हुआ हो, एक तीसरे बड़े लिफाफे में रखते हुए मुहरबंद कर भेजना अनिवार्य होगा तथा लिफाफों के उपर वित्तीय/ तकनीकी निविदा स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
 - II. तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
 - III. किसी प्रकार का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र वैशाली, हाजीपुर होगा।
 - IV. निविदादाता को अपना पुरा पता मो०- नं०/ दूरभाष संख्या का उल्लेख निविदा में करना होगा।
 - V. किसी भी निविदा को पूर्णतः या अंशतः निरस्त करने का अधिकार कय समिति को सुरक्षित रहेगा एवं समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
 - VI. आवश्यक करों की कटौती के बाद ही भुगतान किया जायेगा।
 - VII. निविदा निबंधित डाक/स्पीडपोस्ट या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाथों-हाथ निर्धारित समय तक प्राप्त की जायेगी। त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

- VIII एम्बुलेंस क्रय हेतु निर्धारित राशि पर सवाम प्राधिकार से कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कायदिस निर्गत किया जावेगा। सफल भिदिदादाता को स्वीकृत दर पर ही एम्बुलेंस की आपूर्ति करनी होगी। समय अंतराल के कारण मूल्य वृद्धि का दावा स्वीकार नहीं होगा।
- IX स्वीकृत भिदिदादाता को कायदिस निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर एम्बुलेंस आपूर्ति करना होगा। ससमय आपूर्ति नहीं करने पर अग्रघन की राशि जफ़्त कर ली जायेगी।
- X भिदिदादाता को आपूर्ति F.O.R Destination पर वैशाली समाहरणालय में करना होगा एवं उसके लिए अलग से कोई राशि देव नहीं होगी। साथ ही यातायात के दौरान किसी प्रकार के नुकसान एवं क्षति की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
- XI अपोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए भिदिदा रद्द करने का अधिकार होगा।
- XII आपूर्ति की जानेवाली सामग्रियों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जायगा।
- XIII आपूर्ति की जानेवाली एम्बुलेंस पर "सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अब्तरगत माननीय सांसद श्री राम विलास पासवान द्वारा वित्त संपोषित" एम्बुलेंस के दोनों तरफ लिखवाना अनिवार्य होगा।


जिला पदाधिकारी,
वैशाली।